

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 177/2022**

**IN THE MATTER OF:**

ABHIST KUSUM GUPTA ..... APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .... RESPONDENTS

NDOH: 12.10.2022

**INDEX**

Sl. No.	Particulars	Page No	C. Fee
1.	Short Reply/Counter Affidavit for and on behalf of Respondent No.9/Greater NOIDA Industrial Development Authority (GNIDA)	1-16	
2.	<b><u>ANNEXURE-A</u></b> A Copy of the Notification dated 28.12.2020 issued by the State of Uttar Pradesh.	17-19	
3.	<b><u>ANNEXURE-B</u></b> Copy of the Action Taken Report and the proposed action to be taken for amelioration of the Ponds.	20-62	

4.	<u>ANNEXURE-C</u> A Copy of the Government Order dated 03.06.2016.	63-77	
5.	<u>ANNEXURE-D(COLLY.)</u> Letters sent by the Greater NOIDA Authority to the District Administration	78-88	
6.	Vakalatnama along with ID Proof	89-90	25+3
7.	Proof of Service	91	

**RESPONDENT NO. 9**

Through

Dated: 17.10.2022  
New Delhi

*G. Chaudhary*  
**CHAUDHARY LAW OFFICES**  
Advocates  
K-2017, (L.G.F), Chittaranjan Park,  
New Delhi – 110019  
Ph. Nos.: (011)- 41053797  
Email: [chaudharyl原因offices@gmail.com](mailto:chaudharyl原因offices@gmail.com)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 177/2022

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA ..... APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .... RESPONDENTS

SHORT REPLY/ COMPLIANCE AFFIDAVIT FOR AND ON  
BEHALF OF RESPONDENT NO.9/ GREATER NOIDA  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (GNIDA)

I, Amit Kumar, S/o- Sri Rajbeer Singh, Aged about 34 years, working as Assistant Manager with Greater NOIDA Authority, having office at Work Circle-V, Plot No.1, Sector-K.P.-IV, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar-201310, presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am working as Assistant Manager in the Office of Greater Noida Industrial Development Authority (Hereinafter to be referred as '*Answering Respondent*') and as such in my official capacity I am well acquainted with the facts and



circumstances of the present case and therefore competent to swear the instant Affidavit.

2. I have read the contents of the Original Application (In short to be referred as '*Application*') and the order dated 06.09.2022 and I say that the contents therein to the extent they are inconsistent with the submissions made hereinafter in this affidavit are incorrect and as such denied. Unless any averment or contention is specifically admitted or traversed, the same may be treated as denied. The Answering Respondent is filing present Short Counter Affidavit due to paucity of time and shall file a detailed Counter Affidavit as and when directed by this Hon'ble Court.
3. That the instant Application is bereft of any merit and the same has been filed by the Applicants for gaining cheap publicity and as such the same may be dismissed with exemplary cost by this Hon'ble Tribunal qua the Authority. It is humbly submitted that filing of such frivolous Application before this Hon'ble Tribunal not only consumes the precious judicial time of this Hon'ble Court but also hampers the development work



being carried out by the Answering Authority for the good of public at large.

4. That the Answering Respondent has always given the Environment and Ecology as top priority and as such has taken several steps and further continuously taking steps in line with directions passed by this Hon'ble Court for making GNIDA as more environment friendly.
5. It is humbly submitted by the Answering Respondent that although environment and ecology is important for human existence however development work is also equally important and as such any development work ought not to be hampered if the Answering Respondent has substantially complied with the Existing Environmental norms.
6. It is submitted by the Answering Respondent that this Hon'ble Tribunal ought not permit the person with vested interest to use the Environmental Law as toll for the ulterior purposes.



7. That essentially the present complaint has been filed by the applicant raising a complaint about destruction and damage of wetlands/water bodies in the district Gautam Buddha Nagar and making prayer that the authorities concerned be directed to take steps for rejuvenation, restoration and improvement of the existing water bodies in the district and to take further steps to remove encroachment on the water bodies in the said District.
8. That the answering respondent is restricting the present short reply/ affidavit to the direction passed by this Hon'ble Court vide order dated 06.09.2022 and crave leave to file a detailed counter-affidavit as and when directed by this Hon'ble Court.
9. That as per section 4 r/w section 6 of the erstwhile Uttar Pradesh Zamindari Abolition & Land Reforms Act, 1950, notwithstanding anything contained in any contract or document or in any other law for the time being in force, all rights, title and interest of all the intermediaries in every estate in such area including land, fisheries, tanks, ponds, water-channels etc. shall cease and be vested in the State of Uttar Pradesh free from all encumbrances. Further section 117 of the said Act empowered the State Government to vest such right



5

in Goan Sabha or any other local authority by a general or special order.

10. Thus, the ponds, water-bodies in question vested with the state Government or the Goan Sabha.

11. The aforesaid UP Z.A & LR Act, 1950 was succeeded by the U.P Revenue Code, 2006. Even in the Uttar Pradesh Code, 2006 by virtue of section 54 of the Code, all right in or over the ponds, water bodies etc. came to be vested with the State Government. Further section 59 of the said code inter-alia contained:

59. *Entrustment of land etc. to Gram Panchayats and other local authorities. - (1) The State Government may, by general or special order to be published in the manner prescribed, entrust all or any of the things specified in subsection (2), which vest in the State Government, to a Gram Panchayat or other local authority for the purposes of superintendence, preservation, management and control in accordance with the provisions of this Code.*



(2) *The following things may be entrusted to a Gram Panchayat or other local authority under sub-section (1), namely-*

(i) *lands, whether cultivable or otherwise, except land for the time being comprised in any holding or grove;*

(ii) *grove standing on the Gram Panchayat land, pasture land, graveyard, cremation ground, manure pits, Khaliyans, Chakroads, link roads, sector roads, land in river bed, road, Sadak Khanti, Sullage farm;*

(iii) *forests and fisheries;*

(iv) *trees, other than trees in a holding or on the boundary of a holding or in a grove or abadi, or any trees on unoccupied land;*

(v) *hats, bazaars, melas, tanks, ponds, water-channels, private ferries, pathways and abadi sites;*

(vi) *subject to the provisions of the Treasure Trove Act, 1878, any properties specified in section 55 and belonging to the State Government.*

(3) *Every land and other thing-*



(a) *vested in a Gram Panchayat or any other local authority under the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, or the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;*

(b) *placed under the charge of a Gram Panchayat or any other local authority under any of the enactments repealed by this Code;*

(c) *otherwise coming into possession of a Gram Panchayat or other local authority, either before or after the commencement of this Code;*

*shall be deemed to be entrusted to such Gram Panchayat or other local authority, as the case may be, with effect from the date of commencement of this Code or from the date of such coming into its possession, for the purpose of superintendence, preservation, management and control, in accordance with the provisions of this Code.*

(4) *The State Government may, by a subsequent order to be published in the manner prescribed, -*



(a) *add to, amend, vary or rescind any earlier order issued under sub-section (1);*

(b) transfer to any other Gram Panchayat or other local authority, any land or other thing entrusted or deemed to be entrusted under sub-section (1) or subsection (3) for superintendence, preservation, management and control;

(c) resume any land or other thing so entrusted or deemed to be entrusted, or transferred to any Gram Panchayat or local authority on such terms and conditions as prescribed;

(d) impose conditions and restrictions subject to which the powers of superintendence, preservation, management and control under this section shall 28 be exercised.

- (5) Where any of the things specified in sub-section (2) has been entrusted or deemed to have been entrusted to a Gram Panchayat, and the village or any part thereof in which such things are situated lies outside the circle of the Gram Panchayat, such Gram Panchayat or its Bhumi Prabandhak Samiti shall, subject to any general or special order issued by the State Government in this behalf, perform, discharge and exercise the functions, duties and powers assigned, imposed or conferred by or under this Code or the U.P. Panchayat Raj Act, 1947 on a Gram Panchayat or a Bhumi



*Prabandhak Samiti as if that village or part also lay within that circle.*

(6) *Where any of the things specified under sub-section (2) has been entrusted or deemed to be entrusted to a local authority other than the Gram Panchayat, the provisions of this Chapter shall mutatis mutandis apply to such local authority*

12. That it is submitted with great respect that as per law, right, title and interest in these ponds, water channels etc. are vested with the State Government or entrusted to a Gram Sabha as per section 54 or section 59 of the UP-Revenue code of 2006 (management of village ponds to be as per section 61 of the Code). Thus, these ponds can neither be acquired, nor resumed by the Authority and hence there was no power with the Authority concerned to remove the encroachment etc. on these ponds. Further, it may be relevant to mention herein that as per section 67 of the Code, it is the Revenue Authority concerned, who has power to prevent damage, misappropriation, and wrongful occupation of Gram Panchayat properties.



13. That vide a Notification dated 28<sup>th</sup> of December, 2020 the State of Uttar Pradesh, in exercise of power vested under Article 213(1) of the constitution of India amended the Revenue code to include explanation after section 59(6) of the Revenue Code. As per this amendment, the following was inserted:

Explanation—For the purpose of this section the word “Local Authority” includes Kshettra Panchayat, Zila Panchayat, Town Area, Notified Area, Cantonment Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar "Nigam, Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared as an Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 under Article 243-Q of the Constitution of India.

A copy of the said notification is being annexed herewith and marked as ANNEXURE-A.

14. Thus, in the humble submission of the Authority it was with effect from 28<sup>th</sup> of December, 2020 that these ponds, water bodies came to be vested with the authority concerned and even when these ponds, water bodies etc. there is no power



vested with the authority to take action against encroachment on this water bodies, as every time the authority has to fall back & approach the revenue authorities under section 67 of the revenue code only for removal of these encroachments.

15.As far as the answering respondent/ GNIDA is concerned, immediately after the service of the order dated 06.09.2022, the authority mobilized its men & machinery to identify the Ponds/ water bodies as has been mentioned in the said order. Having due regard to the order and the joint committee report filed by the state authorities concerned, it is contended by GNIDA that there are about 1000 ponds in the district of GAUTAMBUDHNAGAR, wherein the location of each pond can be enumerated in seriatim as being 1 to 474 falling in Tehsil- Dadri, serial No. 475 to 755 falling in Tehsil- Jewar and Serial no. 756 to 1000 in Tehsil- Sadar.

16.Based on this list, about 281 ponds have been identified falling under the area notified under GNIDA, the category thereof which can be further bifurcated as herein below:



A.	Ponds which are in existence fully or partially	215 ponds
B.	Ponds on which development work like road, green belt, public utility houses, Smarak park etc	07 ponds
C.	Ponds on which factory, group housing, industrial plots have been allotted	05 ponds
D.	Ponds on which dense population existed even before the same came to be vested with NOIDA on 28.12.2020 and as such it is the prerogative of District Administration to clear the encroachment in terms of section 67 of the Revenue Code	54 ponds
	Total	281 Ponds



17. As far as the ponds falling in category "A" is concerned, the authority is taking all steps for the purpose of amelioration/rejuvenation of these ponds and is in the process of accumulating and collating the ground realities to assess the time, which would take for its complete amelioration. Keeping in mind that these ponds came to be vested with the authority only by virtue of notification dated 28<sup>th</sup> of December, 2020. The authority is filing a detailed action taken report and the proposed action to be taken for amelioration of these ponds along with the current photographs of some of the ponds, which are being annexed herewith as ANNEXURE-B.

18. As far as the ponds falling in category "B" & "C" is concerned, since development works like road, green belt, public utility houses, Smarak park etc. already stands on these portions and these structures had been over a period of time. Thus, it is submitted with great respect that the authority keeping in view the significance & impact of water bodies to environment, begs to provide alternate ponds/water bodies as envisaged under Government Order dated 03.06.2016, which is meant for certain extraordinary circumstances, with the



stipulation that 25% larger alternate waterbodies be developed elsewhere for and in place of the existing water bodies. The authority would further seek 3 months time to file a time-schedule for completing the said process of identification etc., having due regard to the size & number of ponds for relocation in case the Hon'ble NGT so directs keeping in view the extraordinary circumstances. A copy of the Government order dated 03.06.2016 is being annexed herewith as ANNEXURE-C.

19. As far as the ponds falling in category 'D' is concerned, this Hon'ble Court may issue appropriate directions to the revenue authority for removal of encroachment. It may be pertinent to mention herein that the revenue authority had been vested with the right, title & interest of these ponds prior to 28<sup>th</sup> of December, 2020 and under the Revenue Code it the revenue authority only, which is empowered to remove the encroachment in view of section 67 of the UP Revenue Code, 2006. It is submitted that the Greater NOIDA Authority has sent several letters to the district administration requesting for removal of the encroachment as per law. The said Letters sent by Greater NOIDA Authority to the District Administration is being annexed herewith as ANNEXURE-D (COLLY).



20. Having said so, the answering respondent most respectfully also submits that these Ponds existed and were re-charged by water from its catchment area falling adjoining to the said pond. Thus, once, the area around the pond has been developed and drainage system came in place, the water coming from the catchment area water finds its way into the drainage system and not to the pond. Thus, these ponds dried up during the passage of time, due to no water from the catchment area. Further, due to the drainage system and the depleting water table, the natural pond has no water to be charged, rather for its existence it has to depend on artificial source.

21. It is, therefore, most humbly and respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to dismiss the present Original Application filed by the Applicant qua the GNIDA authority with exemplary cost as the same is bereft of any merit.



22.I say that the contents hereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed thereof.

*Ajuma*  
अमित कुमार  
**DEPONENT**  
सहायक प्रबंधक, वक सचिवालय - 8  
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

**VERIFICATION**

Verified at **NEW DELHI** on this **11** day of **OCT**, 2022 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

*Ajuma*  
अमित कुमार  
**DEPONENT**  
सहायक प्रबंधक, वक सचिवालय - 8  
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

*(D/112-11/2022)*  
Identify the Deponent who has signed in my presence



**CERTIFIED THAT THE DEPONENT**  
Shri/Smt. *Amr Kumar*  
S/o. Wo, D/o, Shri. *Rajbeer Singh*  
R/o *Mangla Surti Adh.*  
identified by Shri. *Rekha*  
has solemnly affirmed before me at New Delhi  
on **11 OCT 2022** that the contents of this affidavit  
which has been read over & explained to him/her are true  
correct to her knowledge.

**11 OCT 2022**

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1  
संख्या-2164/79-वि-1-20-2(क)24/2020  
लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना  
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020) जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

(यहाँ पर नथी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,


अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2164(1)/79-वि-1-20-2(क)24/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 7- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 8- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 9- संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 10- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,



उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-22...सन् 2020)

(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये

### अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है:-

- |   |  |
|---|--|
| संक्षिप्त नाम   | 1- यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।   |
| उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन | 2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बड़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-<br>स्पष्टीकरण;<br>इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन 'औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।" |
| धारा 80 का संशोधन   | 3- मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक काल दिया जायेगा।  |

89 की  
धारा (2)  
संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

89 की  
धारा (3)  
संशोधन

5- मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्ण संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा कय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा कय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA NO. 177/2022, Abhist Kusum Gupta Vs. State of U.P. & Others के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से तालाबों की सूची प्राप्त की गयी, जिसमें 1000 तालाबों का विवरण है। क्रमांक 1 से 474, तहसील -दादरी, 1 से 245, 475 से 755 तक तहसील जेवर व 756 से 1000 तक तहसील सदर से सम्बन्धित है। इस सूची के आधार पर ग्रेटर नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 281 तालाबों को चिन्हित किया गया व इनका स्थलीय सर्वे किया गया। ग्रेटर नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के तालाबों के सर्वे में तीन प्रकार की स्थितियाँ पायी गयी, जिनका समेकित विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	तालाब जो अस्तित्व में है/आंशिक रूप से तालाब।	215
2.	ऐसे तालाब जिन पर विकास कार्य किया गया।	7
3.	ऐसे तालाब जिन पर परिसम्पत्तियों का आवंटन किया गया।	5
4.	तालाब जिन पर पुरानी सघन आबादी विद्यमान होने के कारण कार्यवाही जिला प्रशासन से अपेक्षित है।	54
	<b>कुल योग</b>	<b>281</b>

उपरोक्त तालिका के अनुसार 281 ऐसे तालाब हैं, जो अस्तित्व में हैं अथवा उन पर आंशिक रूप से तालाब है/तालाब अतिक्रमण है, की खुदाई/सफाई/सौन्दर्यकरण कराकर तालाबों की सम्पूर्ण रकबे को रिक्त कराये जाने की कार्यवाही ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। इन सभी 281 तालाबों का **Action Plan/ Action Taken Report** प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

➤ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तालाबों की खुदाई/सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हॉ/ना	अभियुक्ति/कृत कार्यवाही/ Action Plan
1.	मित्क लच्छी	260/1.0100	आंशिक भाग स्थाई अतिक्रमण शेष भाग में तालाब निर्मित है।	आंशिक भाग पर चरदीवारी एवं माकान	Development Alternatives NGO द्वारा सौन्दर्यकरण का कार्य कराया जा रहा है। बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
2.	रोजा जलालपुर	119/0.4680	तालाब निर्मित है।	नहीं	P.H.D. New Delhi N.G.O. द्वारा सौन्दर्यकरण का कार्य कराया जा रहा है। बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
3.	रोजा जलालपुर	144/0.2840	तालाब निर्मित है।	नहीं	P.H.D. New Delhi N.G.O. द्वारा सौन्दर्यकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। बोर्ड लगाया जा चुका है।
4.	रोजा जलालपुर	564ख/0.0230	आंशिक भाग में अस्थायी अतिक्रमण है। शेष भाग में मौके पर खाली भूमि है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
5.	रोजा जलालपुर	784/0.1390	सम्पूर्ण भाग में मन्दिर बना हुआ है।	सम्पूर्ण भाग में मन्दिर बना हुआ है।	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
6.	रोजा याकूबपुर	265/1.0120	आंशिक भाग में स्थाई अतिक्रमण है। शेष भाग में तालाब निर्मित है।	आंशिक भाग में मन्दिर बना हुआ है।	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
7.	अच्छेजा	228/0.8900	तालाब निर्मित नहीं है, मौके पर खाली भूमि है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
8.	अच्छेजा	242ख/0.1270	तालाब निर्मित नहीं है, मौके पर खाली भूमि है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
9.	अच्छेजा	629ख/0.1010	तालाब निर्मित नहीं है, मौके पर खाली भूमि है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
10.	अच्छेजा	768/0.3800	तालाब निर्मित नहीं है, मौके पर खाली भूमि है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
11.	अच्छेजा	59/1428/0.0250	तालाब निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
12.	अच्छेजा	1131/0.7600	तालाब निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
13.	छपरौला	356/0.4300	रास्ता निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।

14.	चिपियाना बुर्जुग	479/0.1260	तालाब निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
15.	चिपियाना बुर्जुग	332/1.0750	तालाब निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
16.	चिपियाना बुर्जुग	333/1.0240	तालाब निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
17.	खेडा धर्मपुरा (छपरोला)	918/0.2020	तालाब निर्मित है।	नहीं	बोर्ड शीघ्र लगा दिया जायेगा।
18.	सादुल्लापुर	279/0.317	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
19.	सादुल्लापुर	280/0.013	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
20.	सादुल्लापुर	532/2.149	1/2 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ (आंशिक)	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
21.	वैदपुरा	321 ख/0.063	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
22.	सादोपुर	352/0.126	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
23.	सादोपुर	365/0.690	तालाब निर्मित है। आंशिक रूप से अस्थायी कब्जा है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
24.	धूममानिकपुर	1741/1.530	तालाब निर्मित है। स्थायी मकान बने हैं तथा कुछ भाग में मिट्टी डालकर रास्ते को चौड़ा किया गया है।	हाँ (आंशिक)	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
25.	धूममानिकपुर	2753/1.9660	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
26.	धूममानिकपुर	2769/0.4680	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
27.	धूममानिकपुर	1149/1.4290	तालाब निर्मित है। तालाब के किनारे स्थायी अतिक्रमण किया गया है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा मकान व रास्ते का निर्माण किया गया है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
28.	धूममानिकपुर	1310/0.5660	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
29.	जौनसमाना	115/0.5560	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
30.	जौनसमाना	168/0.089	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।



46.	खेडी	220क/0.746	100 वर्गमी० भूमि पर स्थायी कब्जा है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
47.	खेडी	344/0.228	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
48.	रुपवास	125/0.202	तालाब निर्मित है तथा 1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है। आंशिक भाग पर ग्राम का रास्ता व पुरानी आबादी बनी है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
49.	रुपवास	126क/1.265	तालाब निर्मित है तथा 1/8 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	
50.	रुपवास	127/0.038	स्थायी अतिक्रमण	हाँ	नियमानुसार कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
51.	रुपवास	128क/0.089	स्थायी अतिक्रमण	हाँ	नियमानुसार कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
52.	कैलाशपुर	119ख/0.89	तालाब निर्मित है तथा 1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है। आंशिक भाग पर ग्राम का रास्ता व पुरानी आबादी बनी है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
53.	कैलाशपुर उर्फ किराचपुर	145/0.689	तालाब निर्मित है तथा 1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है। आंशिक भाग पर ग्राम का रास्ता व पुरानी आबादी बनी है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
54.	तिलपता करनवास	666/0.253	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
55.	तिलपता करनवास	667/0.025	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
56.	तिलपता करनवास	677/0.031	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
57.	तिलपता करनवास	708/0.455	तालाब निर्मित है। आंशिक भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है। आंशिक भाग पर मकान आदि बने हुए है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
58.	तिलपता करनवास	716/0.051	तालाब निर्मित है। आंशिक भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है। आंशिक भाग पर मकान आदि बने हुए है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
59.	खोदना खुर्द	207/0.101	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
60.	खोदना कल्लो	36/0.32	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरुप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।

61.	खोदना कलॉ	52/0.557	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
62.	खोदना कलॉ	385क/0.512	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
63.	श्यौराजपुर (माजरा खोदना कलॉ)	561/0.304	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
64.	आमका	83/0.190	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है तथा स्थल पर सूचना बोर्ड दिनांक 15.11.2022 तक लगा दिया जायेगा।
65.	पतवाडी	703/2.086	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। मौके पर बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.10.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
66.	खेडा चौगानपुर	11/0.866	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। मौके पर बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.10.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
67.	खैरपुर गुर्जर	466/0.128	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। मौके पर बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.10.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
68.	सूरजपुर	349म/0.253	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। मौके पर बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.10.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
69.		199/0.076	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। मौके पर बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.10.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
70.		337ख/0.013	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। मौके पर बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.10.2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
71.	तुस्याना	633/0.152	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड शीघ्र लगाये जाने हैं।
72.	मलकपुर	113ख/0.1520	मौके पर पोखर स्थित है।	—	मौके पर खसरे में पोखर स्थित है जिस पर शीघ्र बोर्ड लगाने की कार्यवाही कर सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा।
73.	बिरोण्डी चकसेनपुर	14/0.2690	तालाब स्थित है।	ना	तालाब स्थल पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगा दिया जायेगा। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है।
74.		83/2.0111	तालाब स्थित है, जिसमें मिट्टी भरी हुई है।	ना	स्थल पर तालाब की भूमि रिक्त है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगा दिया जायेगा। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है।
75.	ब्रहमपुर गजसौला उर्फ नवादा	162/0.7330	तालाब स्थित है।	ना	तालाब स्थल पर विद्यमान है। तालाब का सौन्दर्यीकरण ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कराया जा चुका है। स्थल पर तालाब के विवरण का बोर्ड भी लगा दिया गया है। तालाब वर्तमान में छट पूजा इत्यादि आयोजन के प्रयोग में लाया जा रहा है।

76.	रामपुर जागीर	74/0.076	तालाब स्थित है। तालाब के समीप लगभग 0.0250 है0 भूमि में मंदिर स्थित है।	ना	तालाब स्थल पर विद्यमान है। तालाब के समीप लगभग 0.0250 है0 भूमि में मंदिर स्थित है। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है एवं दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
77.	साकीपुर	175/0.999	तालाब स्थित है।	ना	तालाब स्थल पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगा दिया जायेगा। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है।
78.		390/0.025	उक्त तालाब आबादी के बीच में स्थित है, जिसमें मिट्टी भरी हुई है।	ना	स्थल पर तालाब की भूमि रिक्त है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगा दिया जायेगा। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है।
79.	गुलिस्तानपुर	868/0.1520	तालाब स्थित है, जिसमें मिट्टी भरी हुई है।	ना	स्थल पर तालाब की भूमि रिक्त है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगा दिया जायेगा। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है।
80.		512/0.2530	तालाब स्थित है।	ना	तालाब स्थल पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगा दिया जायेगा। तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन गठित किया जाना है।
81.	पल्ला	272/1.252	तालाब निर्मित 12000 वर्ग मी0 व 520 वर्ग मी0 पर आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
82.		289/0.405	तालाब निर्मित 3500 वर्ग मी0 व 550 वर्ग मी0 पर आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
83.		301/0.569	तालाब निर्मित 1800 वर्ग मी0 व 4390 वर्ग मी0 पर सघन आबादी व मन्दिर	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
84.	पाली	251/0.126	तालाब निर्मित 600 वर्ग मी0 व 660 वर्ग मी0 पर सघन आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
85.	पाली	598/1.303	तालाब निर्मित 6400 वर्ग मी0 व 6630 वर्ग मी0 पर सघन आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।

86.	थापखेडा	134/0.7062	तालाब निर्मित 6000 वर्ग मी0 व 1060 वर्ग मी0 पर आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
87.	जुनपत	214/0.818	तालाब निर्मित 7680 वर्ग मी0 व 500 वर्ग मी0 पर आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
88.	हजरतपुर	103/0.1138	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
89.	मथुरापुर	306/0.3920	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
90.	बोडाकी	124/0.632	तालाब निर्मित 5520 वर्ग मी0 व 800 वर्ग मी0 पर सघन आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
91.		356/0.052	पूर्ण भाग पर रिक्त भूमि है।	नहीं	पूर्ण भाग पर रिक्त भूमि है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
92.		422/0.304	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
93.	अजायबपुर	155/1.143	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
94.	घोडी बछेडा	244/0.114	600 वर्ग मी0 में रिक्त भूमि है। व 540 वर्ग मी0 पर सघन आबादी	हाँ	रिक्त भूमि है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
95.	घोडी बछेडा	376/0.0379	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
96.	घोडी बछेडा	888/0.898	तालाब निर्मित 3100 वर्ग मी0 व 5880 वर्ग मी0 पर सघन आबादी	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।

97.	रायपुर-बांगर	103/0.190	पूर्ण भाग पर रिक्त भूमि है।	नहीं	पूर्ण भाग पर रिक्त भूमि है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
98.		114/0.202	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
99.		143/0.063	पूर्ण भाग पर रिक्त भूमि है।	हाँ	पूर्ण भाग पर रिक्त भूमि है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
100.		274/0.342	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
101.		276/0.051	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
102.		294/0.152	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। दिनांक 31.10.2022 तक तालाब के विवरण का बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
103.	डाबरा	46/ 1.125	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। खुदाई/सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार किया जाना है। दिनांक 31.10.2022 तक बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
104.	डाबरा	183/0.1520	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। खुदाई/सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार किया जाना है। दिनांक 31.10.2022 तक बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
105.	मायचौ	549/0.5190	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। खुदाई/सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार किया जाना है। दिनांक 31.10.2022 तक बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
106.	मायचौ	692/0.0760	तालाब है। वर्तमान में मिट्टी भरी हुई है।	हाँ	आंशिक रूप से तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। खुदाई/सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार किया जाना है। दिनांक 31.10.2022 तक बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
107.	मायचौ	914/4.1100	तालाब निर्मित है।	हाँ	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है। खुदाई/सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार किया जाना है। दिनांक 31.10.2022 तक बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
108.	मायचौ	1375/0.152	तालाब निर्मित है।	हाँ	आंशिक रूप से तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है।









143.	बागपुर	73 /0.0690	तालाब निर्मित है।	नही	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
144.	बागपुर	(77/3) / 0.1520	तालाब निर्मित है।	नही	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
145.	बागपुर	141 / 0.1010	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
146.	बागपुर	169 /0.7330	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
147.	बिसायच	146 /0.0890	पूर्ण रूप से तालाब निर्मित है।	नही	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
148.	पौवारी	212ख /0.0350	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
149.	पौवारी	213 /0.1140	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
150.	पौवारी	214 /0.1390	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
151.	दादूपुर दनकौर	140ख /0.0250	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
152.	दादूपुर दनकौर	141 /1.2650	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
153.	दादूपुर दनकौर	293 /0.3540	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
154.	डाढ़ा	405 /0.2780	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
155.	क्यामपुर	190 /0.1520	तालाब निर्मित है।	नही	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
156.	बिरोण्डा	91 /0.6700	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
157.	सिरसा	553 /0.8530	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
158.	सलेमपुर गुर्जर	428 /1.7430	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
159.	लड़पुरा	168 /0.3040	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
160.	लड़पुरा	339 /0.5310	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
161.	लड़पुरा	364 /0.1640	तालाब निर्मित है।	नही	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
162.	लड़पुरा	566 /0.0250	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
163.	लड़पुरा	649 /0.9240	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
164.	लड़पुरा	(581/1) /2.1750	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
165.	खानपुर	341 /0.1010	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
166.	घंघोला	295 /0.8600	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
167.	घंघोला	317घ /0.8500	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
168.	घंघोला	368क /0.6960	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
169.	घंघोला	429 /1.3140	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
170.	अमिनाबाद उर्फ नियाना	419 /0.2530	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
171.	दलेलगढ़	277 /0.1520	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।










200.	पंचायतन इनायतपुर	197 /0.5060	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
201.	पंचायतन इनायतपुर	447 /0.1010	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
202.	पंचायतन इनायतपुर	536 /0.0130	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
203.	खेरली हाफिजपुर	228 /0.9360	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
204.	खेरली हाफिजपुर	225 /0.1520	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
205.	खेरली हाफिजपुर	346 /0.1260	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
206.	खेरली हाफिजपुर	582 /0.3220	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
207.	देवटा	123 /0.4680	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
208.	देवटा	222 /0.6830	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
209.	देवटा	300 /0.1260	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
210.	देवटा	438 /0.1140	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
211.	देवटा	705 /0.5940	तालाब निर्मित है।	हाँ	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
212.	अस्तौली	95 /0.2910	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
213.	अस्तौली	155 /0.0630	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
214.	रघुनाथपुर (गेरआबाद)	240 /0.0540	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।
215.	रघुनाथपुर (गेरआबाद)	242 /0.0820	तालाब निर्मित है।	नहीं	सूचना बोर्ड लगाया जाना प्रस्तावित है।






तालाबों की सफाई/सौन्दर्यकरण/खुदाई एवं स्थल पर लगाये गये बोर्ड के कुछ फोटोग्राफ्स




























➤ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित कुल 07 तालाब ऐसे हैं, जिन पर विकास कार्य किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब खसरा/रकबा का	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हाँ/ना	अन्य विवरण
1	अच्छेजा	341/0.2500	तालाब निर्मित नहीं है, PWD की सड़क पूर्व से ही निर्मित है।	नहीं	यह सड़क पी.डब्लू.डी. के द्वारा पूर्व में निर्मित की गयी है। कोई अतिक्रमण नहीं है।
2	रोजा याकूबपुर	391/0.2020	सेक्टर-16 (आवासीय) में पार्क निर्मित है।	हाँ	सेक्टर-16 (आवासीय) के अर्न्तगत मौके पर पार्क विकसित है। कोई अतिक्रमण नहीं है।
3	जैतपुर-वैशपुर	131/0.4050	उद्यान विभाग द्वारा पार्क निर्मित है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
4	जैतपुर-वैशपुर	142(क)/0.4170	उद्यान विभाग द्वारा पार्क निर्मित है। एवं आंशिक भाग में पार्क की बाउन्ड्रीवॉल निर्मित है। तालाब 5000 वर्ग मी० में निर्मित है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
5	मकोडा	304/0.7900	85.0 मी० लम्बाई x 3.50 मी० चौड़ाई में सी० सी० रोड की सड़क बनी हुई है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
6	घोडी बछेडा	245/1.125	125.0 मी० लम्बाई x 3.50 मी० चौड़ाई में सी० सी० रोड की सड़क बनी हुई है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
7	कनारसी	386/0.0760	सड़क निर्मित है।	नहीं	लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है।

➤ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित कुल 05 तालाब ऐसे हैं, जिन पर परिसम्पत्तियों का आवंटन किया जा चुका है (आवंटन वर्ष के साथ), जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हाँ/ना	अन्य विवरण
1.	तुस्याना	740/0.277	ग्रीन बेल्ट व 7.5 मी० रोड निर्मित है। अवशेष भाग सूखा है।	नहीं	आवंटन वर्ष 2015
2	हल्दौना	304/3.5410	तहसीलदार सदर महोदय से प्राप्त विवरण के अनुसार निम्न टिप्पणी की गई है "ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्लॉट आवंटित किए गए हैं उक्त तालाब के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, गौतमबुद्धनगर के न्यायालय में वाद सं० D201811270004757 धारा 67 वाद विचाराधीन है"  खाता विवरण के आधार पर खसरा सं० 304 क्षेत्रफल 3.5410 है० है, अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि में दर्ज है। स्थलीय सर्वे में प्रथम दृष्टया पाया गया उक्त खसरे की भूमि पर संस्थागत भूखण्ड नियोजित हैं, जिस पर इकाईयां निर्मित हैं। एक हिस्से में एन.पी.सी.एल. का आंशिक भाग आता है। उक्त खसरे पर 24मी० चौड़ी सड़क एवं ग्रीन बेल्ट का भाग है।	नहीं	आवंटन वर्ष 2001
3	घोडी बछेडा	530/0.715	D.M.I.C योजना के अन्दर निर्मित है।	नहीं	D.M.I.C योजना के अन्दर निर्मित है। आवंटन वर्ष 2018
4	बोडाकी	354/0.025	D.F.C.C.I.L की रेलवे लाईन निर्मित है।	नहीं	D.F.C.C.I.L की रेलवे लाईन निर्मित है। आवंटन वर्ष 2020
5	रिठौरी	227/0.0660	इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे बना हुआ है।	नहीं	इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का निर्माण वर्ष 2018 में हुआ है।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कुल 54 ऐसे तालाब हैं, जिन पर वर्षों से सघन आबादी विद्यमान है व परिवार निवास कर रहे हैं/काश्तकारों का कब्जा है और जिनका कब्जा भी ग्रेटर नौएडा को प्राप्त नहीं है, ऐसे तालाबों पर उ० प्र० राजस्व संहिता की धारा 67 (पूर्व उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम धारा 122बी०) के अधीन कार्यवाही राजस्व विभाग से अपेक्षित है। ऐसे 54 तालाबों का विवरण निम्नवत है:-

➤ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तालाब जिन पर वर्षों से सघन आबादी विद्यमान है।

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हाँ/ना	अन्य विवरण
1.	सादोपुर	16/0.113	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
2.	धूममानिकपुर	726/0.126	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
3.	धूममानिकपुर	846ख/0.025	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
4.	धूममानिकपुर	883/0.139	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
5.	धूममानिकपुर	1113/0.051	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
6.	धूममानिकपुर	1114/0.101	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
7.	धूममानिकपुर	1115/0.126	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
8.	धूममानिकपुर	1119 ख/0.097	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
9.	धूममानिकपुर	1136/0.038	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
10.	धूममानिकपुर	2277/0.024	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
11.	धूममानिकपुर	2644/0.057	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
12.	धूममानिकपुर	2651/0.139	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
13.	धूममानिकपुर	2778/0.089	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
14.	धूममानिकपुर	2969/0.329	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
15.	धूममानिकपुर	2971/0.873	पूर्व से घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हाँ	—
16.	खोदना खुर्द	84/0.038	पूर्व से मन्दिर व स्कूल आदि का स्थायी निर्माण किया गया है।	हाँ	—
17.	खोदना खुर्द	204/0.133	पूर्व से मन्दिर व स्कूल आदि का स्थायी निर्माण किया गया है।	हाँ	—
18.	खोदना खुर्द	424/0.645	पूर्व से मन्दिर व स्कूल आदि का स्थायी निर्माण किया गया है।	हाँ	—

19.	खोदना खुर्द	446/0.443	पूर्व से मन्दिर व स्कूल आदि का स्थायी निर्माण किया गया है।	हाँ	—
20.	खोदना खुर्द	525/0.310	पूर्व से मन्दिर व स्कूल आदि का स्थायी निर्माण किया गया है।	हाँ	—
21.	खोदना खुर्द	697/0.504	पूर्व से मन्दिर व स्कूल आदि का स्थायी निर्माण किया गया है।	हाँ	—
22.	पतवाडी	1287/0.101	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
23.	खेडा चौगानपुर	296/1.037	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ
24.	खैरपुर गुर्जर	361/0.278	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ
25.	सूरजपुर	483ख/0.038	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
26.	सूरजपुर	483ब/1.00	तालाब निर्मित है।	हाँ	श्री डालचन्द पुत्र श्री प्यारे, वाद संख्या, टी -2017112771012049, श्री रामनाथ पुत्र श्री श्यामलाल, वाद संख्या - टी -2017112771012050, दरियाव पुत्र श्री बाबुलाल, वाद संख्या - टी -2017112771012051, श्री रामनिवास पुत्र कालू, वाद संख्या - टी -2017112771012052, श्री सुभाष पुत्र श्री भुल्लन, वाद संख्या - टी -2017112771012058, श्री धर्म सिंह आदि पुत्र श्री हुक्म सिंह, वाद संख्या - टी -2017112771012057, श्री लीलू भगत जी पुत्र स्वरूपा, वाद संख्या - टी -2017112771012056, श्री ब्रह्म सिंह भाटी पुत्र श्री भीम सिंह, वाद संख्या - टी -2017112771012055, श्री रामभूल पुत्र श्री श्यामा, वाद संख्या - टी -2017112771012032, श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री टेकचन्द, वाद संख्या - टी -2017112771012033, श्री विजलपाल भाटी पुत्र मवासी, वाद संख्या - टी -2017112771012035, श्री सुरेश पुत्र श्री नरपत, वाद संख्या - टी -2017112771012040, श्री कमलेश पत्नी श्री सूरज, वाद संख्या - टी -201711277101204, श्री जयपाल पुत्र श्री डालचन्द वाद संख्या
27.	सूरजपुर	202/0.114	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
28.	सूरजपुर	509/0.063	स्थायी अतिक्रमण है।	हाँ	नहीं
29.	हल्दौनी	475/1.214	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ
30.	हल्दौनी	458/0.885	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ

31.	कुलेसरा	346/0.253	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
32.	देवला	445/0.911	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
33.	देवला	512/0.1925	तालाब निर्मित नहीं है।	हाँ	नहीं
34.	देवला	533/0.189	तालाब निर्मित नहीं है।	हाँ	नहीं
35.	बिसरख जलालपुर	519/0.253	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
36.	बिसरख जलालपुर	436/0.240	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
37.	बिसरख जलालपुर	528/0.316	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
38.	जलपुरा	129/2.226	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ
39.	जलपुरा	349/0.253	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
40.	ऐमनाबाद	23/0.228	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ
41.	तुस्याना	249/0.784	तालाब निर्मित है।	हाँ	हाँ
42.	इटेहरा	100/0.190	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
43.	इटेहरा	312/0.708	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
44.	हबीबपुर	404/0.822	तालाब निर्मित है।	हाँ	नहीं
45.	थापखेडा	233 / 0.1897	मंदिर	नहीं (धार्मिक संरचना)	—
46.	रायपुर-बांगर	219 / 0.278	आबादी	हाँ	घनी आबादी में स्थित है।
47.	घोडी बछेडा	342 / 0.152	आबादी	हाँ	घनी आबादी में स्थित है।
48.	इमलियाका	199 / 0.8730	आबादी निर्मित है।	हाँ	मौके पर पुरानी आबादी बनी है।
49.	इमलियाका	352 / 0.6070	आबादी निर्मित है।	हाँ	राजपाल, तुरमल, गौरव आदि पर धारा 67 की कार्यवाही चल रही है।
50.	डाढ़ा	339 / 0.0750	आबादी निर्मित है।	हाँ	धारा 67 की कार्यवाही चल रही है।
51.	रोनी	207ख / 0.0440	आबादी निर्मित है।	हाँ	सघन आबादी निर्मित है।
52.	बिलासपुर ( जानीपुरा)	1438 / 0.1140	आबादी निर्मित है।	हाँ	आंशिक भाग में रास्ता एवं मकान निर्मित है।
53.	चीरसी	218 / 0.1770	सघन आबादी निर्मित है।	हाँ	धारा 67 की कार्यवाही चल रही है।
54.	घरबरा	419 / 0.2530	आबादी निर्मित है।	हाँ	श्री रशीद मृतक वारिस शहजाद, छोटू पुत्रगण रशीद, इशाक शाही पुत्र श्री लतीफ, यामीन पुत्र जुम्मा नि० घरबरा वाद सं० 118 / 24.07.2009 धारा 122बी श्री सेकल पुत्र राकिशन मृतक वारिस शशी पत्नी सेलक नि० घरबरा वाद सं० 119 / 24 07.2009 धारा 122बी

					श्री बाबू पुत्र मर्धुन नि० घरबरा वाद सं० 120/29.07.2010 धारा 122बी
					श्री शीशपाल पुत्र अर्जुन मृतक जस्से, कालू पुत्र शीशपाल नि० घरबरा वाद सं० 121/29.07.2010 धारा 122बी
					श्री दीपक पुत्र नत्थी मृतक मगता तत्त्नी नत्थी नि० घरबरा वाद सं० 122/204.07.2009 धारा 122बी
					श्री महेन्द्र पुत्र जगती नि० घरबरा वाद सं० 123/24.07.2009 धारा 122बी
					श्री सतवीर, गजेन्द्र, जगत पुत्र हरचन्दी निवासी घरबरा वाद सं० 124/24.07.2009 धारा 122बी

दिनांक:- 10.10.2022

- मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुपालन में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जल निकायों के संरक्षण पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, पुनस्थापनीकरण (Conservation, Rejuvenation, Restroation) के लिए विकास प्रस्ताव योजना के सम्बन्ध में।

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
1.	मिल्क लच्छी	260/1.0100	15.11.2022	Development Alternatives NGO द्वारा तालाब की सफाई का कार्य दिनांक 30.06.2023 तक कराया जाना सम्भावित है।	Development Alternatives NGO द्वारा तालाब का सौन्दर्यकरण कराया जा रहा है। डिसिल्टिंग चैम्बर दिनांक 30.06.2023 तक बना दिया जायेगा।	Development Alternatives NGO द्वारा तालाब का सौन्दर्यकरण कराया जा रहा है। दिनांक 30.06.2023 तक पुश्ता का कार्य उक्त NGO द्वारा कराया जाना सम्भावित है।
2.	रोजा जलालपुर	119/0.4680	15.11.2022	PHD, New Delhi, NGO द्वारा तालाब की सफाई का कार्य दिनांक 30.06.2023 तक कराया जाना सम्भावित है।	PHD, New Delhi, NGO द्वारा तालाब का सौन्दर्यकरण कराया जा रहा है। डिसिल्टिंग चैम्बर दिनांक 30.06.2023 तक बना दिया जायेगा।	PHD, New Delhi, NGO द्वारा तालाब का सौन्दर्यकरण कराया जा रहा है। दिनांक 30.06.2023 तक पुश्ता का कार्य उक्त NGO द्वारा कराया जाना सम्भावित है।
3.	रोजा जलालपुर	144/0.2840	15.11.2022	PHD, New Delhi, NGO द्वारा तालाब का सौन्दर्यकरण पूर्ण कराया जा चुका है।	PHD, New Delhi, NGO द्वारा तालाब का सौन्दर्यकरण पूर्ण कराया जा चुका है।	PHD, New Delhi, NGO द्वारा तालाब का पुश्ता का कार्य किया जा चुका चुका है।
4.	रोजा जलालपुर	564ख/0.0230	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
5.	रोजा जलालपुर	784/0.1390	15.11.2022	सम्पूर्ण भाग में मंदिर है।	सम्पूर्ण भाग में मंदिर है।	सम्पूर्ण भाग में मंदिर है।
6.	रोजा याकूबपुर	265/1.0120	15.11.2022	आंशिक भाग में मंदिर बना हुआ है। शेष भाग की दिनांक 30.06.2023 तक सफाई करा दी जायेगी।	आंशिक भाग में मंदिर बना हुआ है। शेष भाग हेतु डिसिल्टिंग चैम्बर का कार्य दिनांक 30.06.2023 तक बना दिया जायेगा।	आंशिक भाग में मंदिर बना हुआ है। शेष भाग का पुश्तों का निर्माण का कार्य दिनांक 30.06.2023 तक करा दिया जायेगा।
7.	अच्छेजा	228/0.8900	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
8.	अच्छेजा	242ख/0.1270	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिस्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
9.	अच्छेजा	629ख/0.1010	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
10.	अच्छेजा	768/0.3800	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
11.	अच्छेजा	59/1428/0.0250	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
12.	अच्छेजा	1131/0.7600	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
13.	छपरौला	356/0.4300	15.11.2022	रास्ता निर्मित है।	रास्ता निर्मित है।	रास्ता निर्मित है।
14.	चिपियाना बुर्जुग	479/0.1260	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
15.	चिपियाना बुर्जुग	332/1.0750	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
16.	चिपियाना बुर्जुग	333/1.0240	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
17.	खेडा धर्मपुरा (छपरौला)	918/0.2020	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
18.	सादुल्लापुर	279/0.317	15.11.2022	12.04.2023	15.06.2023	20.08.2023
19.	सादुल्लापुर	280/0.013	15.11.2022	12.04.2023	15.06.2023	20.08.2023
20.	सादुल्लापुर	532/2.149	15.11.2022	12.04.2023	15.06.2023	20.08.2023
21.	वैदपुरा	321 ख/0.063	15.11.2022	12.04.2023	15.06.2023	20.08.2023
22.	सादोपुर	352/0.126	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
23.	सादोपुर	365/0.690	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
24.	सादोपुर	16/0.113	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
25.	धूममानिकपुर	1741/1.530	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
26.	धूममानिकपुर	2753/1.9660	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
27.	धूममानिकपुर	2769/0.4680	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
28.	धूममानिकपुर	1149/1.4290	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
29.	धूममानिकपुर	1310/0.5660	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
30.	धूममानिकपुर	726/0.126	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
31.	धूममानिकपुर	846ख/0.025	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
32.	धूममानिकपुर	883/0.139	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
33.	धूममानिकपुर	1113/0.051	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
34.	धूममानिकपुर	1114/0.101	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
35.	धूममानिकपुर	1115/0.126	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
36.	धूममानिकपुर	1119 ख/0.097	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
37.	धूममानिकपुर	1136/0.038	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
38.	धूममानिकपुर	2277/0.024	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
39.	धूममानिकपुर	2644/0.057	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
40.	धूममानिकपुर	2651/0.139	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
41.	धूममानिकपुर	2778/0.089	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
42.	धूममानिकपुर	2969/0.329	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
43.	धूममानिकपुर	2971/0.873	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
44.	जौनसमाना	115/0.5560	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
45.	जौनसमाना	168/0.089	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
46.	भोलारावल	31क/0.177	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
47.	भोलारावल	32क/0.152	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
48.	भोलारावल	33/4.654	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
49.	भोलारावल	34/1.707	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
50.	भोलारावल	44/0.847	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
51.	भोलारावल	151/0.164	15.11.2022	14.04.2023	07.07.2023	25.09.2023
52.	सैनी	260/0.519	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
53.	सैनी	490/0.847	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
54.	सैनी	552/0.114	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
55.	सुनपुरा	326/1.379	15.11.2022	15.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
56.	सुनपुरा	353/0.544	15.11.2022	15.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
57.	भनौता	192/0.620	15.11.2022	15.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
58.	भनौता	564/0.038	15.11.2022	15.04.2023	15.04.2023	15.06.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिस्टिंग चैम्बर	पुरता (कब्जा)
59.	खेडी	217/0.110	15.11.2022	16.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
60.	खेडी	219/0.689	15.11.2022	16.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
61.	खेडी	220क/0.746	15.11.2022	16.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
62.	खेडी	344/0.228	15.11.2022	16.04.2023	15.04.2023	15.06.2023
63.	रुपवास	125/0.202	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
64.	रुपवास	126क/1.265	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
65.	रुपवास	127/0.038	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
66.	रुपवास	128क/0.089	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
67.	कैलाशपुर	119ख/0.89	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
68.	कैलाशपुर उर्फ किराचपुर	145/0.689	15.11.2022	25.04.2023	25.06.2023	25.08.2023
69.	तिलपता करनवास	666/0.253	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
70.	तिलपता करनवास	667/0.025	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
71.	तिलपता करनवास	677/0.031	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
72.	तिलपता करनवास	708/0.455	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
73.	तिलपता करनवास	716/0.051	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
74.	खोदना खुर्द	207/0.101	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
75.	खोदना खुर्द	84/0.038	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
76.	खोदना खुर्द	204/0.133	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
77.	खोदना खुर्द	424/0.645	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
78.	खोदना खुर्द	446/0.443	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
79.	खोदना खुर्द	525/0.310	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
80.	खोदना खुर्द	697 / 0.504	15.11.2022	07.05.2023	07.07.2023	25.09.2023
81.	खोदना कलौ	36 / 0.32	15.11.2022	15.11.2022	18.04.2023	15.04.2023
82.	खोदना कलौ	52 / 0.557	15.11.2022	15.11.2022	18.04.2023	15.04.2023
83.	खोदना कलौ	385क / 0.512	15.11.2022	15.11.2022	18.04.2023	15.04.2023
84.	शयौराजपुर (माजरा खोदना कलौ)	561 / 0.304	15.11.2022	18.04.2023	15.04.2023	18.06.2023
85.	आमका	83 / 0.190	15.11.2022	18.04.2023	15.04.2023	18.06.2023
86.	पतवाडी	1287 / 0.101	1287 / 0.101	1287 / 0.101	1287 / 0.101	1287 / 0.101
87.	पतवाडी	703 / 2.086	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
88.	खेडा चौगानपुर	296 / 1.037	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
89.	खेडा चौगानपुर	11 / 0.866	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
90.	खैरपुर गुर्जर	361 / 0.278	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
91.	खैरपुर गुर्जर	466 / 0.128	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
92.	सूरजपुर	483ख / 0.038	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
93.	सूरजपुर	483ब / 1.000	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
94.	सूरजपुर	202 / 0.114	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
95.	सूरजपुर	509 / 0.063	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
96.	सूरजपुर	349म / 0.253	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
97.	सूरजपुर	199 / 0.076	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
98.	सूरजपुर	337ख / 0.013	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
99.	हल्दौनी	475 / 1.214	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
100.	हल्दौनी	458 / 0.885	15.11.2022	30.04.2023	30.06.2023	30.06.2023
101.	कुलेसरा	346 / 0.253	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
102.	देवला	445 / 0.911	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
103.	देवला	512 / 0.1925	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
104.	देवला	533 / 0.189	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
105.	बिसरख जलालपुर	519/0.253	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
106.	बिसरख जलालपुर	436/0.240	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
107.	बिसरख जलालपुर	528/0.316	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
108.	जलपुरा	129/2.226	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
109.	जलपुरा	349/0.253	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
110.	ऐमनाबाद	23/0.228	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
111.	तुस्याना	249/0.784	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
112.	तुस्याना	633/0.152	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
113.	तुस्याना	740/0.277	ग्रीन बैल्ट व 7.50 मी० रोड निर्मित है। अवशेष भाग सूखा है।	ग्रीन बैल्ट व 7.50 मी० रोड निर्मित है। अवशेष भाग सूखा है।	ग्रीन बैल्ट व 7.50 मी० रोड निर्मित है। अवशेष भाग सूखा है।	ग्रीन बैल्ट व 7.50 मी० रोड निर्मित है। अवशेष भाग सूखा है।
114.	इटेहरा	100/0.190	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
115.	इटेहरा	312/0.708	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
116.	हबीबपुर	4040.822	15.11.2022	30.06.2023	31.10.2023	31.10.2023
117.	मलकपुर	113ख/0.1520	15.11.2022	33.03.2023	30.06.2023	30.06.2023
118.	बिरोण्डी चकसेनपुर	14/0.2690	15.11.2022	30.06.2023	31.12.2023	31.12.2023
119.	बिरोण्डी चकसेनपुर	83/2.0111	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
120.	ब्रहमपुर गजरौला उर्फ नवादा	162/0.7330	दिनांक 08.10.2022 को बोर्ड लगा दिया गया है।	30.06.2023	तालाब का सौन्दर्यकरण पूर्व में वर्ष 2015-2016 में कराया जा चुका है। स्थल पर तालाब वर्तमान में दुर्गा पूजा, छट पूजा इत्यादि के आयोजन के प्रयोग में लाया जा रहा है।	
121.	रामपुर जागीर	74/0.076	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	तालाब के समीप लगभग 0. 025 हेक्टेयर भूमि में मंदिर स्थित है एवं शेष भूमि पर दिनांक 30.06.2023 तक सफाई का कार्य करा दिया जायेगा।
122.	साकीपुर	175/0.999	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
123.	साकीपुर	390/0.025	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
124.	गुलिस्तानपुर	868/0.1520	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिडिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
125.	गुलिस्तानपुर	512/0.2530	15.11.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
126.	पल्ला	272/1.252	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
127.	पल्ला	289/0.405	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
128.	पल्ला	301/0.569	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
129.	पाली	251/0.126	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
130.	पाली	598/1.303	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
131.	थापखेडा	134/0.7062	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
132.	थापखेडा	233/0.1897	मन्दिर	मन्दिर	मन्दिर	मन्दिर
133.	जुनपत	214/0.818	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
134.	हजरतपुर	103/0.1138	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
135.	मथुरापुर	306/0.3920	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
136.	बोडाकी	124/0.632	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
137.	बोडाकी	356/0.052	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
138.	बोडाकी	422/0.304	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
139.	अजायबपुर	155/1.143	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
140.	घोडी बछेडा	244/0.114	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
141.	घोडी बछेडा	245/1.125	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिस्ट्रिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
142.	घोडी बछेडा	376/0.0379	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
143.	घोडी बछेडा	888/0.898	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
144.	रायपुर-बांगर	103/0.190	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
145.	रायपुर-बांगर	114/0.202	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
146.	रायपुर-बांगर	143/0.063	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
147.	रायपुर-बांगर	274/0.342	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
148.	रायपुर-बांगर	276/0.051	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
149.	रायपुर-बांगर	294/0.152	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
150.	डाबरा	46/1.125	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
151.	डाबरा	183/0.1520	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
152.	मायचौ	549/0.5190	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
153.	मायचौ	692/0.0760	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
154.	मायचौ	914/4.1100	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
155.	मायचौ	1375/0.152	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
156.	मायचौ	1377/0.127	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
157.	रिठौरी	52/0.9990	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
158.	रिठौरी	229/0.7970	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
159.	रिठौरी	354/0.367	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
160.	रिठौरी	358/0.253	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
161.	रिठौरी	541/0.0760	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
162.	रामपुर फतेहपुर	74/0.1900	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
163.	रामपुर फतेहपुर	133 ख / 0.5310	15.11.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
164.	अमरपुर	351 / 0.5190	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
165.	कनारसी व कनरसा	57 / 0.2280	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
166.	कनारसी व कनरसा	58ख / 0.0980	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
167.	कनारसी व कनरसा	228 / 0.1390	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
168.	कनारसी व कनरसा	408 / 0.0130	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
169.	कनारसी व कनरसा	449 / 0.2150	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
170.	कनारसी व कनरसा	75 / 0.4550	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
171.	कनारसी व कनरसा	650 / 0.2530	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
172.	नवादा	104 / 0.5310	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
173.	नवादा	105 / 0.0340	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
174.	हतेवा	7 / 0.1520	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
175.	हतेवा	84 / 0.0760	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
176.	ननवा का राजपुर	117 / 0.2910	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
177.	पीपलका सुरतपुर	202 / 0.3670	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
178.	बागपुर	73 / 0.0690	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
179.	बागपुर	(77/3) / 0.1520	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
180.	बागपुर	141 / 0.1010	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
181.	बागपुर	169 / 0.7330	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
182.	इमलियाका	199 / 0.8730	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
183.	इमलियाका	352 / 0.6070	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
184.	बिसायच	146 / 0.0890	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
185.	पौवारी	212ख / 0.0350	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
186.	पौवारी	213 / 0.1140	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
187.	पौवारी	214 / 0.1390	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा /रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिस्ट्रिग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
188.	दादूपुर दनकौर	140ख /0.0250	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
189.	दादूपुर दनकौर	141 /1.2650	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
190.	दादूपुर दनकौर	293 /0.3540	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
191.	डाढ़ा	339 /0.0750	15-11-2022	30-05-2023	निर्मित है।	30-09-2023
192.	डाढ़ा	405 /0.2780	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
193.	क्यामपुर	190 /0.1520	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
194.	बिरोण्डा	91 /0.6700	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
195.	सिरसा	553 /0.8530	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
196.	सलेमपुर गुर्जर	106 /0.5310	15-11-2022	30-05-2023	निर्मित है।	निर्मित है।
197.	सलेमपुर गुर्जर	428 /1.7430	15-11-2022	30-05-2023	30-07-2023	30-09-2023
198.	लड़पुरा	168 /0.3040	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
199.	लड़पुरा	339 /0.5310	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
200.	लड़पुरा	364 /0.1640	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
201.	लड़पुरा	566 /0.0250	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
202.	लड़पुरा	649 /0.9240	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
203.	लड़पुरा	(581/1) /2.1750	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
204.	खानपुर	341 /0.1010	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
205.	घंघोला	295 /0.8600	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
206.	घंघोला	317घ /0.8500	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
207.	घंघोला	368क /0.6960	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
208.	घंघोला	429 /1.3140	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
209.	अमिनाबाद उर्फ नियाना	419 /0.2530	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
210.	दलेलगढ़	277 /0.1520	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
211.	दलेलगढ़	326 /0.3410	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
212.	दलेलगढ़	727 /0.0510	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
213.	कुलीपुरा	193 / 1.1080	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
214.	रोनी	17 / 1.6190	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
215.	रोनी	18 / 0.0380	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
216.	रोनी	140 / 0.3410	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
217.	रोनी	207ख / 0.0440	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
218.	रामपुर माजरा	112 / 0.8220	15-11-2022	25-09-2023	निर्मित है।	निर्मित है।
219.	रामपुर माजरा	283 / 0.1140	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
220.	रामपुर माजरा	285 / 0.3540	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
221.	अटाई मुरादपुर	1 / 0.4170	15-11-2022	25-09-2023	25-11-2023	25-01-2024
222.	लुक्सर	233 / 0.1390	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
223.	बिलासपुर (पतलाखेड़ा)	247 / 1.1760	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
224.	बिलासपुर (बुलन्दखेड़ा)	920 / 0.1140	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
225.	बिलासपुर (जानीपुरा)	1438 / 0.1140	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
226.	चचूला	89ग / 0.2310	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
227.	चचूला	91 / 0.1010	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
228.	चचूला	230 / 0.2020	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
229.	चचूला	86 / 0.1010	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
230.	चचूला	90 / 0.1260	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
231.	चचूला	104क / 0.0380	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
232.	चचूला	217 / 0.1260	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
233.	चचूला	89ख / 0.1390	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
234.	रोशनपुर	257 / 0.2400	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
235.	रोशनपुर	405 / 0.6580	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
236.	रोशनपुर	526 / 0.1010	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
237.	रोशनपुर	527 / 0.1520	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
238.	तालड़ा	199 / 0.7710	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिस्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
239.	तालड़ा	324 / 0.1560	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
240.	तालड़ा	394 / 0.8220	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
241.	आजमपुर गढ़ी	125 / 0.1520	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
242.	आजमपुर गढ़ी	211क / 0.6890	15-11-2022	20-12-2023	निर्मित है।	निर्मित है।
243.	जुनेदपुर	203 / 0.1640	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
244.	चीरसी	121 / 0.2660	15-11-2022	20-12-2023	25-02-2024	25-04-2024
245.	चीरसी	129 / 2.0990	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
246.	चीरसी	218 / 0.1770	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
247.	पंचायतन इनायतपुर	197 / 0.5060	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
248.	पंचायतन इनायतपुर	447 / 0.1010	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
249.	पंचायतन इनायतपुर	536 / 0.0130	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
250.	खेरली हाफिजपुर	228 / 0.9360	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
251.	खेरली हाफिजपुर	225 / 0.1520	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
252.	खेरली हाफिजपुर	346 / 0.1260	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
253.	खेरली हाफिजपुर	582 / 0.3220	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
254.	गिरधरपुर	195 / 0.3540	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
255.	गिरधरपुर	238म / 0.3160	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
256.	देवटा	123 / 0.4680	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
257.	देवटा	222 / 0.6830	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
258.	देवटा	300 / 0.1260	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
259.	देवटा	438 / 0.1140	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
260.	देवटा	705 / 0.5940	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
261.	अस्तौली	95 / 0.2910	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
262.	अस्तौली	155 / 0.0630	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
263.	अस्तौली	393 / 1.9850	15-11-2022	30-04-2024	निर्मित है।	निर्मित है।
264.	अस्तौली	394 / 0.3160	15-11-2022	30-04-2024	निर्मित है।	निर्मित है।

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	बोर्ड लगाए जाने की सम्भावित तिथि	सफाई कराये जाने की सम्भावित तिथि	सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सम्भावित तिथि	
					डिसिल्टिंग चैम्बर	पुश्ता (कब्जा)
265.	अस्तौली	612 / 0.0890	15-11-2022	30-04-2024	निर्मित है।	निर्मित है।
266.	अस्तौली	613 / 0.3920	15-11-2022	30-04-2024	निर्मित है।	निर्मित है।
267.	घरबरा	419 / 0.2530	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
268.	रघुनाथपुर (गैर आबाद)	240 / 0.0540	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024
269.	रघुनाथपुर (गैर आबाद)	242 / 0.0820	15-11-2022	30-04-2024	30-05-2024	30-07-2024

➤ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित कुल 07 तालाब ऐसे हैं, जिन पर विकास कार्य किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब खसरा/रकबा का	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हाँ/ना	अन्य विवरण
1	अच्छेजा	341/0.2500	तालाब निर्मित नहीं है, PWD की सड़क पूर्व से ही निर्मित है।	नहीं	यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा पूर्व में निर्मित की गयी हैं। कोई अतिक्रमण नहीं है।
2	रोजा याकूबपुर	391/0.2020	सेक्टर-16 (आवासीय) में पार्क निर्मित है।	हाँ	सेक्टर-16 (आवासीय) के अर्न्तगत मौके पर पार्क विकसित है। कोई अतिक्रमण नहीं है।
3	जैतपुर-वैशपुर	131/0.4050	उद्यान विभाग द्वारा पार्क निर्मित है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
4	जैतपुर-वैशपुर	142(क)/0.4170	उद्यान विभाग द्वारा पार्क निर्मित है। एंव आंशिक भाग में पार्क की बाउन्ड्रीवॉल निर्मित है। तालाब 5000 वर्ग मी० में निर्मित है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
5	मकोडा	304/0.7900	85.0 मी० लम्बाई X 3.50 मी० चौड़ाई में सी० सी० रोड की सड़क बनी हुई है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
6	घोडी बछेडा	245/1.125	125.0 मी० लम्बाई X 3.50 मी० चौड़ाई में सी० सी० रोड की सड़क बनी हुई है।	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
7	कनारसी	386/0.0760	सड़क निर्मित है।	नहीं	लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है।

- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित कुल 05 तालाब ऐसे हैं, जिन पर परिसम्पत्तियों का आवंटन किया जा चुका है (आवंटन वर्ष के साथ), जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हाँ/ना	अन्य विवरण
1.	तुस्याना	740/0.277	ग्रीन बेल्ट व 7.5 मी० रोड निर्मित है। अवशेष भाग सूखा है।	नहीं	आवंटन वर्ष 2015
2	हल्दौना	304/3.5410	तहसीलदार सदर महोदय से प्राप्त विवरण के अनुसार निम्न टिप्पणी की गई है "ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्लॉट आवंटित किए गए हैं उक्त तालाब के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, गौतमबुद्धनगर के न्यायालय में वाद सं० D201811270004757 धारा 67 वाद विचाराधीन है"  खाता विवरण के आधार पर खसरा सं० 304 क्षेत्रफल 3.5410 है० है, अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि में दर्ज है। स्थलीय सर्वे में प्रथम दृष्टया पाया गया उक्त खसरे की भूमि पर संस्थागत भूखण्ड नियोजित हैं, जिस पर इंकाईयां निर्मित हैं। एक हिस्से में एन.पी.सी.एल. का आंशिक भाग आता है। उक्त खसरे पर 24मी० चौड़ी सड़क एवं ग्रीन बेल्ट का भाग है।	नहीं	आवंटन वर्ष 2001
3	घोडी बछेडा	530/0.715	D.M.I.C योजना के अन्दर निर्मित है।	नहीं	D.M.I.C योजना के अन्दर निर्मित है। आवंटन वर्ष 2018
4	बोडाकी	354/0.025	D.F.C.C.I.L की रेलवे लाईन निर्मित है।	नहीं	D.F.C.C.I.L की रेलवे लाईन निर्मित है। आवंटन वर्ष 2020
5	रिठौरी	227/0.0660	इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे बना हुआ है।	नहीं	इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का निर्माण वर्ष 2018 में हुआ है।

## ANNEXURE - C

संख्या- 744 /एक-1-2016-2019/2019

पेसक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्गठन एवं विनियम हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खाली के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियों वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियों थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

-2-

इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हों। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तर्गत की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सागन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्शन्तर्ष सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों का ही है।

- (ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।
- (ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" के नाम जमा कराया जायेगा।
- (घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हो, तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनाएं क्षैतिज में अर्थात् 180 डिग्री पर चलती हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहाँ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894/भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

- (ड) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।
- (च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।
- (छ) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि सःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
- (ज) भूमि को पुनर्ग्रहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि यह

-5-

वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।

- (झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।
- (ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासल वाली भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्ग्रहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये हैं। यदि हां, तो उस भूमि का पुनर्ग्रहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।
- (ठ) पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (3) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।
- (ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।
- (ढ) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- (ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा और पुनर्ग्रहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- (त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्ग्रहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा प्रशासकीय विभागों को दिया जायेगा।
- (थ) प्रशासकीय विभाग को पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

-6-

- प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्ग्रहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्ग्रहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।
- (ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण आदेशों तथा ड्रिटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्ग्रहण के आदेश जारी किये जायेंगे।
- (न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षट्मासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।
- (प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरो के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा है। संलग्न आकार पत्र-2 में षट्मासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हेण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

-7-

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रुपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्रामवासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेश या किसी मा० न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यों हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हड़ावर, श्मशान स्थल व तालाब/पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्डे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्डे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

✓5(6) मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम

-10-

कामला देवी व अन्य, सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल आत्मद व अन्य बनाम डी०डी०सी० देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियों इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक पारिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भौति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेंगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सके। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जांच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कब्रिस्तान, एमसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियों निर्धारित की गयी हैं। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

हस्तान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट संस्तुति/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33/11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियों यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (यह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कवाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु

1.50

एकड़

-13-

-13-

(ख)	अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में	2.00	एकड़
(घ)	132 के.वी.	3.50	एकड़
(स)	220 के.वी.	10.00	एकड़
(द)	400 के.वी.	50.00	एकड़
(य)	765 के.वी.	82.00	एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्गहन कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 744 (1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद्व दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आजा से,

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

आदेश

संख्या..... दिनांक .....

शासनादेश संख्या.....दिनांक.....का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (30प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या ..... दिनांक.....द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त.....संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक.....के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आज्ञा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

> टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

## आकार पत्र 2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्गृहीत की गई भूमि का षट्मासिक विवरण  
 30 जून, 20...../31 दिसम्बर, 20.....को समाप्त होने वाला षट्मास,  
 जिला ..... तहसील ..... परगना.....

क्र०सं०	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्गृहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्गृहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की गई भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया
1	2	3	4	5	6	7

## आकार पत्र 3

पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	ग्राम जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि स्थित है	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया	भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य जमा करने का विवरण	पुनर्गृहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग जिसके लिए पुनर्गृहण किया गया	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं० 1,सेक्टर नॉलेज पार्क-4,ग्रेटर नौएडा सिटी,जनपद गौतमबुद्ध नगर

78

पत्रांक: अभियन्त्रण/वर्क सर्किल-1/2022/1613

दिनांक: २१/०९/२०२२

सेवा में,

उप जिलाधिकारी (दादरी)

जिला-गौतमबुद्ध नगर।

विषय:- वर्क सर्किल-1 के क्षेत्रान्तर्गत तालाबों पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया दिनांक 17.09.2022 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऑनलाईन मीटिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में तालाबों से अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सन्दर्भ में वर्क सर्किल-1 के अन्तर्गत समस्त तालाबों की सूची निम्नवत है:-

क०सं०	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु धारा-67 के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी
1	मिल्क लच्छी	260	1.010	
	<b>Total</b>	<b>01 No</b>	<b>1.010</b>	
2	रोजा जलालपुर	119	0.4680	
		144	0.2840	
	<b>Total</b>	<b>02 No</b>	<b>0.7520</b>	
3	रोजा याकूबपुर	265.	1.0120	
		391क	0.2020	
	<b>Total</b>	<b>02 No</b>	<b>1.2140</b>	
4	अछेच्चा	926.	5.210	
		228.	0.890	
		242ख	0.1270	
		341	0.250	
		629	0.1010	
		768	0.380	
		1131	0.760	
		1320	1.0500	
	<b>Total</b>	<b>08 No</b>	<b>8.0080</b>	
5	छपरोला (खेडा धर्मपुरा)	356	0.4300	
		918	0.2020	
	<b>Total</b>	<b>02 No</b>	<b>0.6320</b>	
6	चिपियाना बुर्जुग	479	0.1260	
		332	1.0750	
		333	1.0240	
	<b>Total</b>	<b>03 No</b>	<b>2.2250</b>	
7	बादलपुर	354ख.	0.1260	
		476	0.0630	
		557ख.	0.3410	
		828	0.0950	
		881	0.1390	
	<b>Total</b>	<b>05 No</b>	<b>0.7640</b>	

उपरोक्त समस्त तालाबों पर धारा-67 की कार्यवाही के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की आख्या उच्चाधिकारियों द्वारा मांगी गई है जिससे अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कल दिनांक 22.09.2022 शाम पाँच बजे तक वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
(चेतराम सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-1

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0/पी0/ए0) महोदय/महोदया के सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को इस आशय के साथ कि अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करें।
- सम्बन्धित पत्रावली।

  
वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-1



# ग्रैटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-1, सैक्टर-गॉलेज पार्क-4, ग्रैटर नोएडा सिटी

पत्रांक :- प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-2/2022/1604

दिनांक 10/10/2022

सेवा में,

उप जिलाधिकारी (दादरी)

जनपद-गौतमबुद्धनगर (उ० प्र०)

विषय:- ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले तालाबों की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध धारा-67 के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में स्थित तालाबों की सूची जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें प्राधिकरण के वर्क सर्किल-2 क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सादुल्लापुर, सादोपुर, धूममानिकपुर, सुनपुरा, भनौता, खेडी, रुपवास, कैलाशपुर, तिलपता करनवास एवं खोदना खुर्द के तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है आप अपने स्तर से अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(चरण सिंह)

प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-2

प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी०) महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) महोदय को सूचनार्थ ।
- प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-2



ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-2 के अन्तर्गत आने वाले तालाबों का विवरण -  
Work Circle-2

81

क्र.सं०	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा	क्षेत्रफल	तालाब का नाम	अतिक्रमण है या नहीं स्थायी या अस्थायी
1	2	3	5	6	7	8
1	दादरी	शादुल्लापुर 02 तालाब	279	0.317	जोहड़	-
			280			
			532	2.149	जोहड़	1/2 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
2	दादरी	सादोपुर 02 तालाब	16	0.113	जोहड़	-
			352	0.126	तालाब	-
			365	0.690	तालाब	आंशिक रूप से अस्थायी कब्जा।
3	दादरी	धूमगानिकपुर 05 तालाब	726	0.126	तालाब	-
			846 ख	0.025	तालाब	-
			883	0.139	तालाब	-
			1113	0.375	तालाब	-
			1114			
			1115			
			1119 ख			
			1136	0.467	तालाब	तालाब के किनारे स्थायी अतिक्रमण किया गया है।
			1149			
			1310	0.556	तालाब	-
1741	1.530	तालाब	स्थायी मकान बने हैं तथा कुछ भाग में गिट्टी डालकर रास्ते को चौड़ा किया गया है।			
4	दादरी	सुनपुरा 02 तालाब	326	1.379	पोखर	स्थायी कब्जा है।
			353	0.544	पोखर	2500 वर्गमी० पर स्थायी कब्जा।
5	दादरी	भनौता 01 तालाब	192	0.620	जोहड़	स्थायी अतिक्रमण है।
			564	0.038	पोखर	-
6	दादरी	खेडी 01 तालाब	217	1.545	तालाब	-
			219			
			220 क			
			344	0.228	जोहड़	समतल 100 वर्गमी० स्थायी कब्जा
7	दादरी	रुपवास 01 तालाब	125	1.594	पोखर	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			126 क			1/8 भाग पर अतिक्रमण है।
			127			स्थायी अतिक्रमण है।
			128 क			
8	दादरी	कैलाशपुर 01 तालाब	119 ख	1.499	पोखर	स्थायी अतिक्रमण है।
			145			1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
9	दादरी	तिलपता करनवास 02 तालाब	666	0.309	तालाब	-
			667			
			677			
			708			
			716	0.506	तालाब	स्थायी अतिक्रमण है।

*RAN*  
AM  
Rajesh Nim  
Assistant Manager  
WC-2 GNIDA

*(SM-2)*  
(चरण सिंह)  
प्र० चरिन्द प्रबन्धक वर्क सर्किल-2  
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

10	दादरी	खोदना खुर्द 01 तालाब	84	0.038	तालाब	-
			204	0.133	तालाब	-
			207	0.101	तालाब	-
			424	0.645	तालाब	स्थायी अतिक्रमण पूर्ण व्यक्तिगत
			446	0.443	तालाब	स्थायी अतिक्रमण पूर्ण व्यक्तिगत
			525	0.310	तालाब	-
			697	0.506	तालाब	-

  
 (Rajesh Nim)  
 Assistant Manager  
 WC-2 GNIDA

  
 (चरण सिंह)  
 प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-2  
 प्रेटर नोएडा प्राधिकरण



# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतम बुद्धनगर - 201308

83

पत्रांक:- प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-8/2022/4758

दिनांक /०.10.2022

सेवा में,

✓ उप जिलाधिकारी, सदर  
गौतमबुद्धनगर।

विषय- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत तहसील सदर, (गौतमबुद्धनगर), में आने वाले ग्रामों के तालाबों पर अवैध रूप से अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

कृ० उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर में आने वाले ग्रामों के तालाबों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि ग्रामों के कुछ व्यक्तियों द्वारा तालाबों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमित तालाबों की सूची पार्श्व में संलग्न है।

अतः उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

  
(नाresh सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-8

प्रतिलिपि:-

- 1 स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी०) महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2 महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) महोदय को सूचनार्थ।
- 3 प्रबन्धक व सहायक प्रबन्धक वर्क सर्किल-8 को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 गार्ड फाईल।

  
वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-8

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र 401 में तालाबों/पोखरों का विवरण।

84

वक सर्किल-8

दि0- 10.10.2022

क्र सं०	ग्राम का नाम	ग्राम में स्थित तालाब की सं०	खसरा सं०	अतिक्रमण का विवरण
1	अमरपुर	तालाब-1	351	अतिक्रमण है।
2	कनारसी व कनरसा	तालाब-1	57	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	58ख	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	228	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-4	386	अतिक्रमण है।
		तालाब-5	408	अतिक्रमण है।
		तालाब-6	449	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-7	75	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-8	650	अतिक्रमण नहीं है।
3	नवादा	तालाब-1	104	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	105	अतिक्रमण है।
4	हतेवा	तालाब-1	7	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	84	अतिक्रमण है।
5	ननवा का राजपुर	तालाब-1	117	अतिक्रमण है।
6	पीपलका सुरतपुर	तालाब-1	202	अतिक्रमण है।
7	दागपुर	तालाब-1	73	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	77/3	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	141	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-4	169	अतिक्रमण नहीं है।
8	इमलियाका	तालाब-1	199	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	352	अतिक्रमण है।
9	धिसावच	तालाब-1	146	अतिक्रमण नहीं है।
10	पौवारी	तालाब-1	212ख	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	213	अतिक्रमण है।
		तालाब-3	214	अतिक्रमण है।
11	दादपुर दनकौर	तालाब-1	140ख	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	141	अतिक्रमण है।
		तालाब-3	293	अतिक्रमण है।
12	डाढा	तालाब-1	339	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	405	अतिक्रमण है।
13	क्यामपुर	तालाब-1	190	अतिक्रमण है।
14	विरोण्डा	तालाब-1	91	अतिक्रमण है।
15	सिरसा	तालाब-1	553	अतिक्रमण है।
16	सलेमपुर गुर्जर	तालाब-1	106	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	428	अतिक्रमण है।
17	लडपुरा	तालाब-1	168	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	339	अतिक्रमण है।
		तालाब-3	364	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-4	566	अतिक्रमण है।
		तालाब-5	649	अतिक्रमण है।
		तालाब-6	581/1	अतिक्रमण है।
18	खानपुर	तालाब-1	341	अतिक्रमण नहीं है।
19	घघोला	तालाब-1	295	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	317घ	अतिक्रमण है।
		तालाब-3	368क	अतिक्रमण है।
		तालाब-4	429	अतिक्रमण है।
20	अभिनाबाद उर्फ नियाना	तालाब-1	419	अतिक्रमण नहीं है।
21	दलेलगढ़	तालाब-1	277	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	326	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	727	अतिक्रमण है। (मन्दिर)
22	कुलीपुरा	तालाब-1	193	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-1	17	अतिक्रमण नहीं है।
23	जेन्नी	तालाब-1	18	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2		अतिक्रमण नहीं है।

Am

Pradeep

9

		तालाब-3	140	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-4	207ख	अतिक्रमण है।
1	रामपुर माजरा	तालाब-1	112	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	283	अतिक्रमण है।
5	अटाई मुरादपुर	तालाब-3	285	अतिक्रमण है। (मन्दिर)
		तालाब-1	1	अतिक्रमण नहीं है।
6	तुम्सर	तालाब-1	233	अतिक्रमण है।
7	बिलासपुर (पतलाखेडा)	तालाब-1	247	अतिक्रमण नहीं है।
8	बिलासपुर (बुलन्दखेड)	तालाब-1	920	अतिक्रमण है।
9	बिलासपुर (जानीपुरा)	तालाब-1	1438	अतिक्रमण है।
30	चवूला	तालाब-1	89ग	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	91	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	230	अतिक्रमण है।
		तालाब-4	86	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-5	90	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-6	104क	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-7	217	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-8	89ख	अतिक्रमण नहीं है।
31	रोशनपुर	तालाब-1	257	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	405	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	526	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-4	527	अतिक्रमण नहीं है।
32	तालड़ा	तालाब-1	199	अतिक्रमण है।
		तालाब-2	324	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	394	अतिक्रमण है।
33	आजमपुर गद्दी	तालाब-1	125	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	211क	अतिक्रमण नहीं है।
34	जुनेदपुर	तालाब-1	203	अतिक्रमण नहीं है।
35	धीरसी	तालाब-1	121	अतिक्रमण नहीं है। (रास्ता)
		तालाब-2	129	अतिक्रमण है।
		तालाब-3	218	अतिक्रमण नहीं है।
36	पंचायतन इनायतपुर	तालाब-1	197	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	447	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	536	अतिक्रमण नहीं है।
37	खेरली हाफिजपुर	तालाब-1	228	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	225	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-3	346	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-4	582	अतिक्रमण नहीं है।
38	गिरधरपुर	तालाब-1	195	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	238म	अतिक्रमण नहीं है।
39	देवटा	तालाब-1	123	अतिक्रमण नहीं है। (खेत)
		तालाब-2	222	अतिक्रमण है।
		तालाब-3	300	अतिक्रमण है।
		तालाब-4	438	अतिक्रमण नहीं है। (खेत)
		तालाब-5	705	अतिक्रमण है।
40	अस्तौली	तालाब-1	95	अतिक्रमण नहीं है। (खेत)
		तालाब-2	155	अतिक्रमण नहीं है। (खेत)
		तालाब-3	393	अतिक्रमण है।
		तालाब-4	394	अतिक्रमण है।
		तालाब-5	612	अतिक्रमण है।
		तालाब-6	613	अतिक्रमण है।
41	घरवरा	तालाब-1	419	अतिक्रमण है।
42	रघुनाथपुर (गेरआबाद)	तालाब-1	240	अतिक्रमण नहीं है।
		तालाब-2	242	अतिक्रमण नहीं है।

अमित कुमार  
सहायक प्रबन्धक, वर्क सर्किल - 8  
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

Shukla

85



# ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-1, रोड-नॉलेज मार्ग-4, ग्रेटर नोएडा सिटी

पत्रांक-प्रो/वरिष्ठ प्रबन्धक-6/22/ 6808  
दिनांक- 10/10/2022

रोवा में,

उप जिलाधिकारी (दादरी),  
जनपद- गौतमबुद्धनगर (उ० प्र०)

**विषय:-** ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले तालाबों की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध धारा-67 के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में स्थित तालाबों की सूची जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें प्राधिकरण के वर्क सर्किल-8 क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पल्ला, पाली, थापखेडा, जुनपत, बोडाकी, घोड़ी बछेडा एवं रायपुर बांगर के तालाबों पर भूमि पर अतिक्रमण दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(चरन सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना),  
वर्क सर्किल-6

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी०) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना),

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6 के अन्तर्गत आने वाले तालाबों का विवरण:-

दिनांक 10.10.2022

वर्क सर्किल-6

क्र०सं०	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा	क्षेत्रफल	तालाब का नाम	अतिक्रमण है या नहीं स्थायी या अस्थायी
1	दादरी	पल्ला	272	1.252	पोखर	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			289	0.405	पोखर	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			301	0.589	पोखर	1/2 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
2	दादरी	पाली	251	0.7062	तालाब	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			598	1.3030	तालाब	1/2 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
3	दादरी	थापखेडा	134	0.7062	तालाब	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			233	0.1897	तालाब	1/3 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
4	दादरी	जुनपत	214	0.818	तालाब	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
5	दादरी	बोडाकी	124	0.632	तालाब	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			354	0.025	तालाब	—
			356	0.052	तालाब	समतल पूर्ण भाग
			422	0.304	तालाब	—
6	दादरी	घोडी बछेडा	244	0.114	जोहड	1/3 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			245	1.125	जोहड	1/4 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।
			342	0.152	जोहड	घनी विस्तारित आबादी बनी हुई है।
			376	0.0379	जोहड	—
			530	0.715	जोहड	—
			688	0.898	जोहड	1/3 भाग पर स्थायी अतिक्रमण है।

*(SM-06)*

*(AM)*

7	दादरी	रायपुर-बागर	103	0.193	तालाब	समस्त पूर्ण भाग
			114	0.202	तालाब	-
			143	0.063	तालाब	-
			219	0.278	तालाब	अस्थायी अतिक्रमण है।
			274	0.342	तालाब	आंशिक रूप से अस्थायी केबजा।
			276	0.051	तालाब	-
			294	0.152	तालाब	-

*(SM-06)*

*(AM)*

O.A. No. 406  
177/2022

89

IN THE National Green Tribunal, Principal Bench  
NEW DELHI

In the matter of:

ABHIST KUSUM GUPTA

Plaintiff(s)/ Petitioner(s)  
Appellant(s)/ Applicant(s)



STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

Defendant(s)/ Respondent(s)

AMIT KUMAR - ASSISTANT MANAGER  
OF R.9

KNOW ALL to whom these presents shall come that I/WE  
named RESPONDENT NO. 9

do hereby appoint

Mr. ABDHESH CHAUDHARY (D/2498A/1999),  
Ms. MANISHA SURI (D/412H/2000)  
Mr. NILENDU VATSYAYAN (D/2561/2005)  
Mr. NISHI KANT SINGH (D/396/2016)  
Ms. GEETANJALI SETIA (D/3817/2020)  
ADVOCATE(S) for



**CHAUDHARY LAW OFFICES**  
K-2017, (L.G.F), CHITTARANJAN PARK,  
NEW DELHI - 110019,  
Ph. No. 011-41053797, 9810075174

Email: [chaudharyl原因offices@gmail.com](mailto:chaudharyl原因offices@gmail.com)

Hereinafter called the Advocate(s) to be my/our Advocate(s) in the above noted case and authorize him/them:-

- (1) To act, appear and plead in the above noted case in this Court, or any other Court to which the same may be transferred, or the Court where the same may be tried or heard and also in the appellate Courts.
- (2) To accept notice/process of Court on my behalf.
- (3) To sign, file and present all pleadings, replications, rejoinders, appeals, cross-objections, petitions, counter affidavits, objections, affidavits, applications, including applications for execution, restoration, withdrawal and compromise, or such other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.
- (4) To file and take back documents.
- (5) To withdraw or compromise the said case.
- (6) To take out execution proceedings.
- (7) To deposit, withdraw and receive moneys, cheques and other instruments and grant receipts therefor.
- (8) To do all other acts and things as may be deemed necessary or required to be done in the course of prosecution of the said case.
- (9) To appoint and instruct another advocate(s) and authorize him/her/them to exercise the powers and authority hereby conferred whenever the Advocate(s) may think fit to do so and to sign a power of attorney on my/our behalf for the said purpose.

And I/We do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/We the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate(s) or his substitute responsible for the result of the said case.

And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents this the ..... day of ....., 20....

Accepted subject to terms of fee.

  
(**ABDHESH CHAUDHARY**)

  
Signature of Client

सहायक प्रबन्धक, वर्क सर्किल - 8  
मेट्र नोएडा प्राधिकरण

Plaintiff(s)/ Petitioner(s)/Appellant(s)  
Applicant(s)/ Defendant(s)/ Respondent(s)

(The Signature of client is identified)

(**MANISHA SURI**)



9810075174

(**NILENDU VATSYAYAN**)

  
(**NISHI KANT SINGH**)

(**GEETANJALI SETIA**)





*Ajuma*

---

**Advance Service of Short reply/Counter Affidavit on behalf of Respondent no. 9/  
Greater Noida Industrial Development Authority**

1 message

---

**CHAUDHARY LAW OFFICES** <chaudharylwoffices@gmail.com>  
To: "sjmathews@gmail.com" <sjmathews@gmail.com>

Tue, Oct 11, 2022 at 11:29 PM

**In re: O.A. no. 177 of 2022 titled as Abhist Kusum Gupta. vs. State of UP & Ors.**

Dear Sir,

Enclosed please find attached the short reply/counter affidavit for and on behalf of the respondent no. 9/Greater Noida Industrial Development Authority in the aforesaid matter.

Kindly acknowledge the same.

Regards  
Geetanjali Setia  
Advocate

--  
for Chaudhary Law Offices  
Advocates  
K-2017,(LGF)  
Chittaranjan Park  
New Delhi-110 019.  
+91-11-41053797

Confidentiality Note: This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient or an employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by e-mail and delete the original message. Thank you

---

 **GREATER NOIDA AUTHORITY - REPLY (FINAL PDF).pdf**  
23372K